न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चौथ का बरवाड़ा

मु0नं0:– 04 / 2021 तारीख रजू:–01.01.2021

जी.सी.एम.एस. नं0:– 2021 / 2

पीठासीन अधिकारी :– जोगेन्द्र सिंह (आर.ए.एस.)

उपखण्ड अधिकारी सत्यमेव जयते चौथ का बरवाड़ा

1. सरकार जरिये तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।

–प्रार्थी

बनाम

1. श्योराम पुत्र ओंकार माली, निवासी सोलपुर, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।
2. नारायण पुत्र ओंकार माली, निवासी सोलपुर, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।
3. चतरा पुत्र ओंकार माली, निवासी सोलपुर, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर। **(फोत)**

   3 / 1. धोल्या
   3 / 2. राजाराम
   पि0 चतरू माली
   3 / 3. किस्तूरी बेवा चतरा माली
   3 / 4. ममता
   3 / 5. सीता पुत्रियान चतरा माली
   निवासीयन सोलपुर, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।

–अप्रार्थीगण

उपस्थित::–

वकील प्रार्थी :– श्री तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा, पैरोकार सरकार।

वकील अप्रार्थी संख्या 3 / 1 लगायत 3 / 5:– श्री लोकेश कुमार सीठा, एडवोकेट

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट</u>

निर्णय दिनांक:–17.03.2026

1. प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि–
   - ग्राम ईसरदा, तहसील चौथ का बरवाड़ा की जमाबंदी संवत् 2018–2021 के खाता संख्या 501 खसरा नंबर 1185, 1186 रकबा03 बीघा 12 बिस्वा माफी मंदिर श्री देलवाल जी का नाम अंकि[illegible] उक्त भूमि माफी रिज्यूम होने से बिना नामान्तरकरण के [illegible] ईसरदा, तहसील चौथ का बरवाड़ा संवत् 2022–2025 खाता संख्या 30 रकबा 03 बीघा [illegible] बिस्वा का अंकन माफी मंदिर श्री देलवाल जी का हटा कर औंकार पुत्र काल्या माली के नाम अंकित कर दिया, जो विधि विपरीत है। खसरा नंबर 1185, 1186 के नवीन खसरा नंबर 360, 361, 366, 382, 383 अंकित किये हैं। नामान्तरकरण संख्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.03.23 13:31:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

2154 से उक्त विवादित आराजीयात जमाबंदी संवत् 2038–41 में खातेदारान के वारिसान के नाम लग गई है।

❖ नवीन भू–प्रबंध विभाग से बनी जमाबंदी ग्राम सोलपुर संवत् 2061–2064 के खाता संख्या 164 पर आराजी खसरा नंबर 360, 361, 366, 382, 383 पर खातेदार योराम, नारायण, चतरा पि0 औंकार माली का नाम हटाकर मंदिर श्री देलवाल जी का अंकन बतौर खातेदार किया जावे, क्योंकि मूर्ति एक ाश्वत नाबालिग है, जिसकी भूमि किसी के भी द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के नाम नहीं की जा सकती है। अतः इंद्राज दुरूस्ती के आदेश फरमाने की क पा करें।

उपखण्ड अधिकारी ★ सत्यमेव जयते ★ चौथ का बरवाड़ा

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर नोटिस बनाम अप्रार्थीगण जारी किये जाकर उन्हे न्यायालय में तलब किया गया।

3. वकील अप्रार्थी संख्या 1, 2 व 3/1 लगायत 3/5 ने अपना जवाब पेश किया है कि–

➢ साबिक खसरा नंबर 1185, 1186 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा वाके ग्राम ईसरदा (सोलपुर) संवत् 2009–2023 में औंकार पिता अप्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी।

➢ उक्त भूमि के हाल सेटलमेंट के नये नंबर 360, 361, 366, 382, 383 कर मंदिर के नाम गलत दर्ज कर दिया।

➢ संवत् 2018 लगायत 2021 एवं संवत् 2022 लगायत 2025 में औंकार पुत्र काल्या माली पिता अप्रार्थीगण निवासी सोलपुर ईसरदा के नाम अंकित है।

➢ उक्त भूमि संवत् 2009 एवं 2012 लगायत 2015 में उक्त भूमि खातेदार औंकार पुत्र काल्या माली निवासी ईसरदा (सोलपुर) के नाम दर्ज थी, तो दुबारा अप्रार्थीगण के पिता के नाम से हटाकर मंदिर देलवाल जी के नाम दर्ज कराने का कानूनन कोई औचित्य नहीं है। पूर्व में उक्त भूमि मंदिर के नाम कभी नहीं रही है।

➢ उक्त भूमि से मंदिर देलवाल का कोई संबंध किसी तरह का नहीं है। तहसीलदार द्वारा प्रार्थना पत्र 136 एल0आर0 एक्ट कतई गलत तथ्यों के आधार पर पेश किया गया है, जो चलने योग्य नहीं है। धारा 136 एल0आर0 एक्ट में किसी की भी खातेदारी समाप्त नहीं की जा सकती।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.03.23 13:31:49 IST
Reason: SelfAttested

➢ उक्त प्रकरण का निस्तारण प्रार्थना पत्र 136 एल0आर0 एक्ट में न होकर धारा 82 एल0आर0 एक्ट में ही हो सकता है। प्रकरण 136 एल0आर0 एक्ट में चलने योग्य नहीं है। इस कारण प्रकरण खारिज किये जाने योग्य है।

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

- उक्त भूमि पर अप्रार्थीगण का 50–60 वर्षों से लगातार कब्जा काश्त व खातेदारी चली आ रही है। आज भी उक्त भूमि पर अप्रार्थीगण की कब्जा काश्त व खातेदारी बंदोबस्त 20 साला संलग्न है।

- बकिया उज्रात बरवक्त बहस जुबानी अर्ज किये जावेंगे।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सत्यमेव जयते चौथ का बरवाड़ा

- अतः जवाब प्रार्थना पत्र 136 एल0आर0 एक्ट का प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र 136 एल0आर0 एक्ट खारिज फरमाया जाकर हर्जा व खर्चा अप्रार्थीगण को दिलवाया जावे। यदि उक्त भूमि मंदिर के नाम दर्ज कर दी तो उसे वापस अप्रार्थीगण के नाम दर्ज कर दी जावे।

4. प्रकरण में तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा ने न्यायालय में उपस्थित होकर अपने पत्रांक भू0अ0/2021/435 दिनांक 26.02.2021 द्वारा रिपोर्ट पेश की है कि–

   - जमाबंदी संवत् 2018–2021 के खाता संख्या 501 में खसरा नंबर खसरा नंबर 1185, 1186, 1448/2 माफी मंदिर जी देलवाल जी खातेदार में औंकार पुत्र कल्या जाति माली सा0 सोलपुर कृषक दर्ज है।

   - जमाबंदी संवत् 2022–2025 के खाता संख्या 20 में से खसरा नंबर 1448/2, 1158, 1186 औंकार पुत्र कल्या माली सा0 ढ़ाणी सोलपुर के नाम खातेदारी दर्ज कर दी थी। माफी मंदिर का नाम हटा दिया।

   - हाल जमाबंदी संवत् 2073–2076 के खाता संख्या 117 में खसरा नंबर 360 रकबा 0.04 है0, 361 रकबा 0.05 है0, 366 रकबा 0.31 है0, 382 रकबा 0.24 है0, खसरा नंबर 383 रकबा 0.27 है0 कुल किता 05 कुल रकबा 0.91 है0 माफी मंदिर देलवाल जी हिस्सा पूर्ण खातेदार दर्ज है।

   - साबिक खसरा नंबर 1185 एवं 1186 के हाल खसरा नंबर 360, 361, 366, 382, 387 बने हैं। अतः रिपोर्ट प्रेषित कर निवेदन है कि साबिक जमाबंदी संवत् 2018–2021 में माफी मंदिर देलवाल का नाम के साथ कृषक औंकार पुत्र कल्या माली का नाम दर्ज था, जिसे जमाबंदी संवत् 2022–2025 में खातेदारी दे दी गई। वर्तमान में भूमि माफी मंदिर के नाम दर्ज रिकॉर्ड है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.03.23 13:31:49 IST
Reason: SelfAttested

5. बकुलाय बहस सुनी गई। मैंने उभयपक्षों की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं जवाब में अंकित कथनों का दोहरान किया।

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स0 मा0)

6. साबिक खसरा नंबर 1185, 1186 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा वाके ग्राम ईसरदा (सोलपुर) संवत् 2009–2023 में औंकार पिता अप्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी। उक्त भूमि के हाल सेटलमेंट के नये नंबर 360, 361, 366, 382, 383 कर मंदिर के नाम गलत दर्ज कर दिया। संवत् 2018 लगायत 2021 एवं संवत् 2022 लगायत 2025 में औंकार पुत्र काल्या माली पिता अप्रार्थीगण निवासी सोलपुर ईसरदा के नाम अंकित है। उक्त भूमि संवत् 2009 एवं 2012 लगायत 2015 में उक्त भूमि खातेदार औंकार पुत्र काल्या माली निवासी ईसरदा (सोलपुर) के नाम दर्ज थी, तो दुबारा अप्रार्थीगण के पिता के नाम से हटाकर मंदिर देलवाल जी के नाम दर्ज कराने का कानूनन कोई औचित्य नहीं है। पूर्व में उक्त भूमि मंदिर के नाम कभी नहीं रही है। उक्त भूमि से मंदिर देलवाल का कोई संबंध किसी तरह का नहीं है। तहसीलदार द्वारा प्रार्थना पत्र 136 एल0आर0 एक्ट कतई गलत तथ्यों के आधार पर पेश किया गया है, जो चलने योग्य नहीं है। धारा 136 एल0आर0 एक्ट में किसी की भी खातेदारी समाप्त नहीं की जा सकती। तहसीलदार **(पैरोकार सरकार)** ने कथन किया है कि हाल जमाबंदी संवत् 2073–2076 के खाता संख्या 117 में खसरा नंबर 360 रकबा 0.04 है0, 361 रकबा 0.05 है0, 366 रकबा 0.31 है0, 382 रकबा 0.24 है0, खसरा नंबर 383 रकबा 0.27 है0 कुल किता 05 कुल रकबा 0.91 है0 माफी मंदिर देलवाल जी हिस्सा पूर्ण खातेदार दर्ज है। जिस कारण इस प्रकरण को चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः मेरी विनम्र राय में प्रार्थना पत्र पेश किये जाने एवं वर्तमान परिस्थितियों के मद्देनजर प्रकरण औचित्यहीन होने के कारण स्वीकार किया जाना उचित नहीं है। साथ ही अप्रार्थी संख्या 1/1 लगायत 1/3 द्वारा चाहा गया अपने जवाब में चाहा गया अनुतोष भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत दिया जाना न्यायसंगत नहीं है।

–:आदेश:–

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है एवं तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा को आदेश दिया जाता है कि वे विवादित आराजीयात ग्राम सोलपुर, तहसील चौथ का बरवाड़ा की जमाबंदी संवत् 2073–2076 के खाता संख्या 117 में खसरा नंबर 360, 361, 366, 382, 383 रकबा क्रमशः 0.04 है0, 0.05 है0, 0.31 है0, 0.24 है0, 0.27 है0 माफी मंदिर श्री देलवाल जी हिस्सा पूर्ण यथावत बनाये रखे। निर्णय आज दिनांक 17.03.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सत्यमेव जयते चौथ का बरवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.03.23 13:31:49 IST
Reason: SelfAttested

(जोगेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स0 मा0)